NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-11-2024

विषय सूची

करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में राज्यों का हिस्सा

लेखापरीक्षा दिवस और CAG की भूमिका

वन डे वन जीनोम पहल (One Day One Genome Initiative)

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (HPBs)

थाई सैकब्रुड वायरस (Thai Sacbrood Virus)

संक्षिप्त समाचार

विलिंगडन द्वीप (Willingdon Island)

करीबा झील (Lake Kariba)

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024

चिकनगुनिया (Chikungunya)

यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल (Uniform Protection Protocol)

भारत NCX 2024

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard)

वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन

तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व

विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day)

करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में राज्यों का हिस्सा

समाचार में

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने वित्तीय भार को कम करने और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का आह्वान किया।

प्रमुख मुद्दे

- 33.16% की वर्तमान हिस्सेदारी XV वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41% से कम है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए अधिभार और उपकर को दोषी ठहराया गया है।
- संघ-राज्य संयुक्त परियोजनाओं में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी और हस्तांतरण दरों में कमी के कारण राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ गया है।
- हस्तांतरण पूल में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 7.93% (IX वित्त आयोग) से घटकर 4.07% (XV वित्त आयोग) हो गई है, जिसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए दंडात्मक बताया गया है।

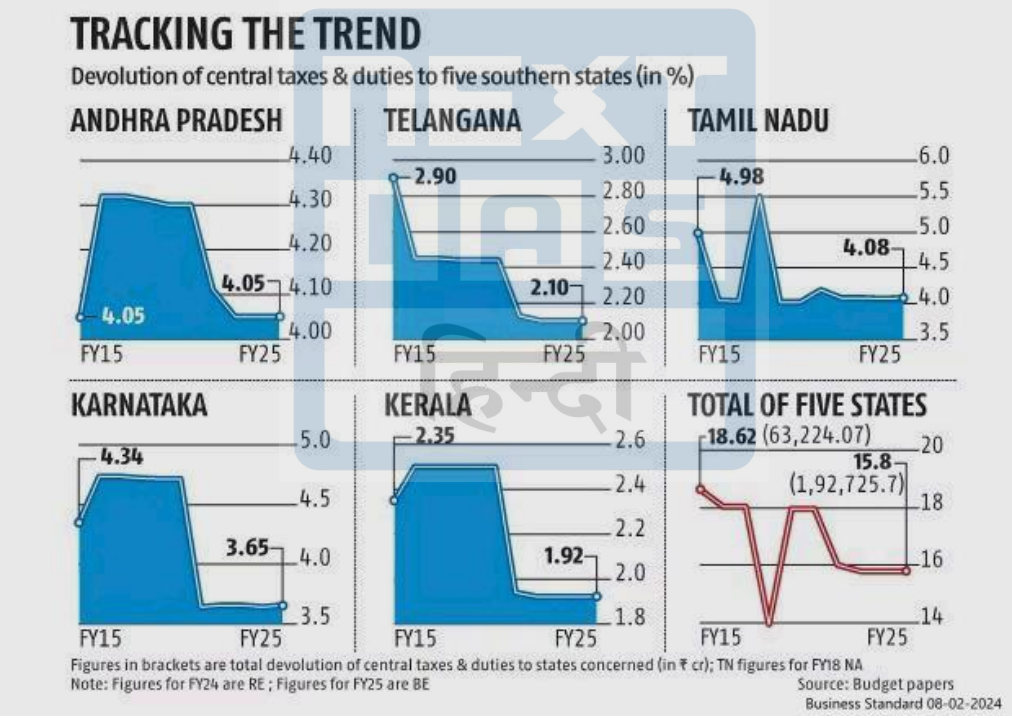

करों का विभाज्य पूल(divisible pool) क्या है?

- विभाज्य पूल सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 270 में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित शुद्ध कर आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करने की योजना का प्रावधान है।
- संघ और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, केंद्रीय GST, एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) में केंद्र का हिस्सा आदि शामिल हैं।
  - यह विभाजन वित्त आयोग (FC) की सिफारिश पर आधारित है, जिसका गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है।
- करों के हिस्से के अतिरिक्त, राज्यों को FC की सिफारिश के अनुसार अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है।

- हालांकि, विभाज्य पूल में केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिभार शामिल नहीं हैं।
- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में भारत के 16वें वित्त आयोग का गठन वित्तीय अवधि 2026-31 के लिए सिफारिशें करने के लिए किया गया है।

आवंटन तंत्र(Allocation Mechanism)

- **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण:** 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए विभाज्य पूल का 41% हिस्सा अनुशंसित किया।
- **क्षैतिज हस्तांतरण:** आय अंतर, जनसंख्या (2011 की जनगणना), वन क्षेत्र, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयास जैसे मानदंडों के आधार पर।

What is the basis for allocation?

The share of States from the divisible pool (vertical devolution) stands at 41% as per the recommendation of the 15th FC. The distribution among the States (horizontal devolution) is based on various criteria. Table 1 lists the criteria for horizontal devolution among the States from the 11th to 15th FC.

Table 1 : The criteria for horizontal devolution among States over the last five FCs

Criteria	11th FC 2000-05	12th FC 2005-10	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2021-26
Income Distance	62.5	50	47.5	50	45
Population (1971 Census)	10	25	25	17.5	-
Population (2011 Census)	-	-	-	10	15
Area	7.5	10	10	15	15
Forest cover	-	-	-	7.5	-
Forest and ecology	-	-	-	-	10
Infrastructure index	7.5	-	-	-	-
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	-	-
Demographic performance	-	-	-	-	12.5
Tax effort	5	7.5	-	-	2.5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **उपकर और अधिभार:** संघ की सकल कर प्राप्तियों का 23% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं, जिससे राज्यों का हिस्सा कुल कर राजस्व का 32% तक सीमित हो जाता है, जो अनुशंसित 41% से कम है।
- **राजस्व असमानता:** औद्योगिक राज्यों को केंद्रीय करों में योगदान किए गए प्रत्येक रुपये के लिए एक रुपये से भी कम मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कम विकसित राज्यों को अधिक मिलता है।

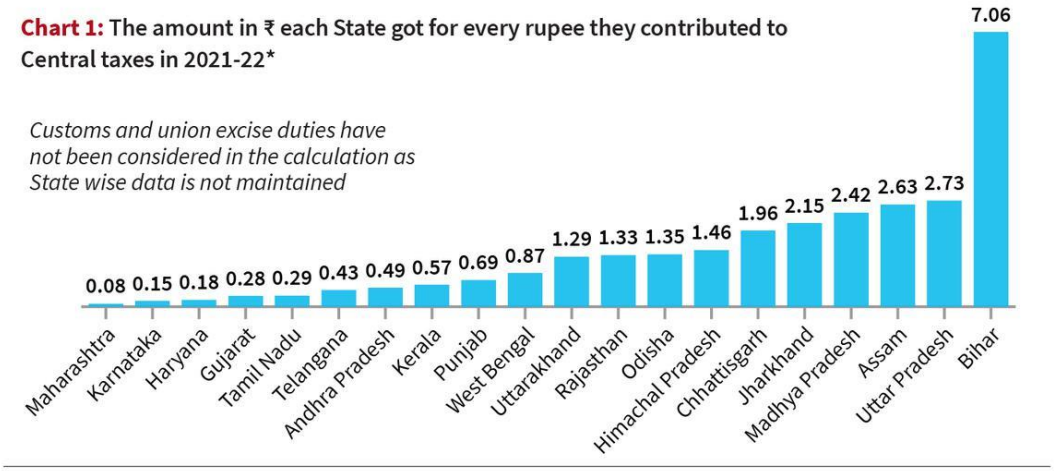

- **दक्षिणी राज्यों की गिरावट:** दक्षता-आधारित मानदंडों (जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयास) की तुलना में इक्विटी-आधारित मानदंडों (आय अंतर, जनसंख्या और क्षेत्र) के लिए उच्च भार के कारण विभाज्य पूल में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी छह FCs में कम हो रही है।
- **अनुदान-सहायता भिन्नताएँ:** राजस्व घाटे, क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थानीय निकायों के लिए प्रदान किए जाने वाले अनुदान राज्यों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।

प्रस्तावित सुधार

- **उपकर(Cess) और अधिभार(Surcharge) शामिल करें:** उपकर और अधिभार के एक हिस्से को शामिल करके विभाज्य पूल का विस्तार करें, और समय के साथ उनके अधिरोपण को कम करें।
- **दक्षता भार बढ़ाएँ:** रिलेटिव GST योगदान को एक मानदंड के रूप में जोड़ें और क्षैतिज हस्तांतरण में दक्षता को अधिक महत्व दें।
- **राज्य की भागीदारी बढ़ाएँ:** GST परिषद के समान वित्त आयोग में राज्य की भागीदारी के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करें।
- **राजकोषीय संघवाद को मजबूत करें:** समान विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष और आगे की राह

- अविकसित राज्यों को सहायता की आवश्यकता है, विकसित राज्यों की कीमत पर उन्हें अधिक धनराशि आवंटित करने से समग्र राष्ट्रीय विकास को हानि पहुँच सकती है।
- समानता और संघवाद के बीच संतुलन बनाने के लिए राजस्व बंटवारे में सुधार की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य अपनी वित्तीय स्वायत्तता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान दें और उससे लाभान्वित हों।

Source: TH

लेखापरीक्षा दिवस और CAG की भूमिका

सन्दर्भ

- लेखापरीक्षा दिवस (16 नवंबर) पर, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण:**
  - यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्र और राज्य सरकारों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।
  - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - अपना पदभार संभालने से पहले, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं।
  - CAG 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
  - CAG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों और उसी तरीके से हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- **संवैधानिक अधिदेश:**
  - **अनुच्छेद 148:** राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किए जाने वाले CAG के कार्यालय की स्थापना करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रक्रिया के अनुसार ही पदच्युति की जाती है, जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
  - **अनुच्छेद 149:** संसद द्वारा निर्धारित संघ, राज्य और सार्वजनिक निगम लेखाओं का लेखा-परीक्षण करने के लिए CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है।
  - **अनुच्छेद 150:** यह अनिवार्य करता है कि संघ और राज्य लेखाओं को CAG के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाए रखा जाए।
  - **अनुच्छेद 151:** CAG की लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से संसद या राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **कार्य और जिम्मेदारियाँ:**
- **सरकारी लेखाओं का ऑडिट:** CAG संघ और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लेखाओं का ऑडिट करता है।
  - इसमें वित्तीय ऑडिट, अनुपालन ऑडिट और प्रदर्शन ऑडिट शामिल हैं।
- **विधानमंडल को रिपोर्ट करना:** CAG राष्ट्रपति या राज्यपाल को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो फिर उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। ये रिपोर्ट सार्वजनिक धन के उपयोग में किसी भी विसंगति या अक्षमता को उजागर करती हैं।
- **सलाहकार भूमिका:** CAG वित्तीय मामलों पर सरकार को परामर्श देता है और वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही में सुधार के लिए नीतियों के निर्माण में सहायता करता है।

CAG: पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जवाबदेही तय करना

- **सार्वजनिक परियोजनाओं में अनियमितताएँ:** CAG की रिपोर्ट ने प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में लागत में भारी वृद्धि और वित्तीय कुप्रबंधन का प्रकटीकरण किया है।
  - उदाहरण के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत ₹18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़कर ₹250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। इस तरह के निष्कर्षों ने परियोजना प्रबंधन की विवेकशीलता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
- **निधियों का गलत आवंटन:** CAG ने कल्याणकारी योजनाओं से निधियों के विचलन को उजागर किया है। एक उदाहरण में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के लिए निर्धारित निधियों को अन्य सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया, जिससे इच्छित लाभार्थियों पर प्रभाव पड़ा। इसने निधि आवंटन दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करने की माँग की है।

- **स्वास्थ्य सेवा योजना में अनियमितताएँ:** आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के ऑडिट से पता चला है कि मृतक के रूप में दर्ज रोगियों के उपचार के लिए ₹6.97 करोड़ वितरित किए गए थे। ऐसी विसंगतियां वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए मजबूत निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

प्रमुख चिंताएँ

- **लेखापरीक्षा की जटिलता में वृद्धि:** जैसे-जैसे सार्वजनिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन अधिक जटिल होते जा रहे हैं, CAG के लेखापरीक्षा को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के नए रूपों के अनुकूल होना चाहिए, जिनका पता लगाना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है।
  - इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और अन्य नवीन वित्तीय व्यवस्थाओं का लेखापरीक्षा करना शामिल है, जिसके लिए विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी प्रगति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती हुई तकनीकों को अपनाने से लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन यह एक चुनौती भी प्रस्तुत करती है।
  - CAG को अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार अपडेट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मचारी इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों।
  - तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल वातावरण में लेखापरीक्षा की विश्वसनीयता और सटीकता बनाए रखना आवश्यक है।
- **स्वतंत्रता बनाए रखना:** CAG की स्वतंत्रता जवाबदेही को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के लिए मौलिक है।
  - हालांकि, CAG की शक्तियों को कम करने के संभावित प्रयासों के बारे में चिंताएँ रही हैं, जो निष्पक्ष लेखापरीक्षा करने की इसकी क्षमता से समझौता कर सकती हैं।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कार्यकारी या अन्य संस्थाओं के अनुचित प्रभाव के बिना कार्य कर सकता है, CAG की स्वायत्तता की रक्षा करना आवश्यक है।
- **क्षमता निर्माण:** CAG के कार्यबल की क्षमता का निर्माण और उसे बनाए रखना एक और महत्वपूर्ण चुनौती है।
  - इसमें न केवल तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है, बल्कि ईमानदारी और व्यावसायिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल है।
  - उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लेखा परीक्षकों को लैस करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण पहल आवश्यक है।
- **सार्वजनिक धारणा और विश्वास:** CAG के निष्कर्षों में जनता का विश्वास बनाए रखना इसकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।
  - पक्षपात या अक्षमता की कोई भी धारणा संस्था में विश्वास को समाप्त कर सकती है।
  - CAG को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और अपने निष्कर्षों को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुँचाना चाहिए।

आगे की राह: CAG को मजबूत करना

- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** CAG ने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाया है।
  - सार्वजनिक प्रशासन के गतिशील परिदृश्य के साथ सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** CAG ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुनाव करवाकर अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया है।
    - ये भूमिकाएँ लेखापरीक्षा प्रथाओं में व्यावसायिकता और अखंडता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए CAG की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
    - सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा पर सहयोग करने के लिए CAG ने विभिन्न देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सेशेल्स, केन्या और सऊदी अरब के साथ हाल ही में किए गए समझौते शामिल हैं।
- **संस्थागत समर्थन:** CAG को अपनी संवैधानिक रूप से निहित भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त संस्थागत समर्थन प्रदान करने का आह्वान किया गया है।
    - CAG को मजबूत बनाने में इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के व्यापक लेखापरीक्षा करने के लिए इसे सशक्त बनाना शामिल है।

Source: ET

वन डे वन जीनोम पहल(One Day One Genome Initiative)

सन्दर्भ

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) ने 'वन डे वन जीनोम' पहल की शुरुआत की।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य भारत में पाई जाने वाली अद्वितीय जीवाणु प्रजातियों के पूर्ण रूप से एनोटेट जीनोम को जारी करना है, जिससे डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सके।
- इसमें सूक्ष्मजीवों के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी देने के लिए विस्तृत ग्राफ़िकल सारांश, जीनोम असेंबली विवरण एवं इन्फोग्राफ़िक्स शामिल होंगे।

पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्मजीवों की भूमिका

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** यह जैव-रासायनिक चक्रों, मृदा निर्माण और प्रदूषकों के क्षरण में भाग लेता है।
    - यह मीथेन उत्पादन और वैश्विक होमियोस्टेसिस में योगदान देता है।
- **कृषि:** यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पोषक चक्रण और कीट नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- **मानव स्वास्थ्य:** शरीर में सहजीवी सूक्ष्मजीव मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक संख्या में होते हैं और रोगजनकों से बचाव करते हैं।
    - वे पाचन, प्रतिरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी समर्थन करते हैं।

जीनोम अनुक्रमण(Genome Sequencing)

- यह किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उसके सभी जीन और गैर-कोडिंग क्षेत्र शामिल हैं।
- इसमें DNA बनाने वाले चार न्यूक्लियोटाइड बेस (एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन) के सटीक क्रम की पहचान करना शामिल है।

जीनोम अनुक्रमण का महत्व

- **वैज्ञानिक उन्नति:** सतत नवाचारों के लिए मूल्यवान सूक्ष्मजीव लक्षणों की पहचान करने में सक्षम बनाती है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** सूक्ष्मजीव विविधता और इसके अनुप्रयोगों की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करती है।
- **औद्योगिक क्षमता:** एंजाइम विकास, रोग नियंत्रण और जैवसक्रिय यौगिक खोज में अनुसंधान का समर्थन करती है।

आगे की राह

- वन डे वन जीनोम पहल भारत में सूक्ष्मजीव अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान देगी, जिससे जैव प्रौद्योगिकी और सतत विकास में वैज्ञानिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
- सूक्ष्मजीवों की छिपी हुई क्षमता को प्रकट करके, यह पहल सामाजिक लाभ के लिए जैव विविधता का लाभ उठाने के वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़ती है।

Source: PIB

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग(HPBs)

सन्दर्भ

- हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग(HPBs) स्थायी निर्माण में अग्रणी हैं।

परिचय

- वैश्विक स्तर पर, बिल्डिंग अपने जीवनकाल में कुल अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 40% हिस्सा लेती हैं, मुख्य रूप से परिचालन आवश्यकताओं के लिए।
- भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार, इमारतें राष्ट्रीय ऊर्जा उपयोग का 30% से अधिक और इसके कार्बन उत्सर्जन का 20% हिस्सा हैं।
- इस महत्वपूर्ण ऊर्जा उपयोग के कारण ऊर्जा से संबंधित कार्बन उत्सर्जन का लगभग 28% होता है।

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग(HPBs) क्या हैं?

- इन इमारतों को ऊर्जा उपयोग, जल संरक्षण, वायु गुणवत्ता और संसाधन दक्षता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही दीर्घकालिक परिचालन और आर्थिक स्थिरता पर भी विचार किया गया है।
- **ऊर्जा दक्षता:** HPBs को पारंपरिक इमारतों की तुलना में ऊर्जा की खपत को काफी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **स्थायित्व:** वे सतत सामग्रियों को शामिल करते हैं, पानी की बचत करने वाली तकनीकों का उपयोग करते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।
- **लचीलापन और अनुकूलनशीलता:** HPBs को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल और जलवायु चुनौतियों के लिए लचीला होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - इसमें बाढ़-प्रतिरोधी डिज़ाइन, ऊर्जा बैकअप सिस्टम और सतत सामग्री शामिल हो सकती है जो चरम मौसम का सामना कर सकती है।

आवश्यकता

- इमारतें वैश्विक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, विशेषकर तेजी से बढ़ते शहरों में, इसलिए उनकी ऊर्जा और कार्बन दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- कार्रवाई न करने से ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ सकती है और जलवायु लक्ष्य चूक सकते हैं।
- 2030 तक भारत की शहरी जनसँख्या 600 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है, इसलिए यह चुनौती आवश्यक होती जा रही है।

महत्व

- **लागत बचत:** ऊर्जा और पानी की खपत में कमी के कारण परिचालन लागत में कमी, साथ ही रखरखाव में भी कमी।
- **शहरीकरण समाधान:** HPBs भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए सक्रिय समाधान प्रदान करते हैं, जिससे देश कम कार्बन, सतत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होता है।
- **बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता:** HPBs के रहने वालों को सामान्यतः बेहतर इनडोर वायु गुणवत्ता और आराम का अनुभव होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** HPBs कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, अपशिष्ट उत्पादन को कम करते हैं, और कम संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक सतत पर्यावरण में योगदान मिलता है।
- **बढ़ा हुआ बाजार मूल्य:** इन इमारतों का प्रायः उच्च पुनर्विक्रय मूल्य होता है, किराएदारों की संतुष्टि बढ़ जाती है, और उनके पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य लाभों के कारण इन्हें वांछनीय माना जाता है।

चुनौतियां

- हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग(HPBs) को प्रायः उन्नत सामग्री, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों और संधारणीय डिजाइन सुविधाओं की लागत के कारण उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- **एकीकृत प्रणालियों की जटिलता:** विभिन्न उच्च प्रदर्शन प्रणालियों को डिजाइन करना और एकीकृत करना जटिल हो सकता है।
- **विशेष रखरखाव:** उन्नत प्रणालियों की जटिलता के कारण HPB को प्रायः विशेष रखरखाव और संचालन प्रथाओं की आवश्यकता होती है।
- विनियामक और कोड अवरोध उच्च प्रदर्शन वाली इमारत प्रथाओं को अपनाने में देरी कर सकते हैं या निर्माण के दौरान अप्रत्याशित जटिलताओं को उत्पन्न कर सकते हैं।
- **जागरूकता की कमी:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि रहने वाले संधारणीय इमारत सुविधाओं को समझें और अपनाएँ, निरंतर शिक्षा तथा जुड़ाव की आवश्यकता होती है, जिसे प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे शहर बढ़ते हैं, नए निर्माण की मांग भी बढ़ती है, और बिना किसी कार्रवाई के इस क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- इस प्रकार, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा-कुशल और कम कार्बन निर्माण प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है।
- HPBs- कम ऊर्जा की खपत, संसाधनों का संरक्षण और अप्रत्याशित मौसम का सामना करने के लिए बनाए गए - सतत जीवन को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

Source: TH

थाई सैकब्रूड वायरस(Thai Sacbrood Virus)

सन्दर्भ

- थाई सैकब्रूड वायरस (TSBV) परागणकों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

थाई सैकब्रूड वायरस

- यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से एपिस सेराना इंडिका (एशियाई मधुमक्खियाँ) को प्रभावित करता है।
- **लक्षण:** संक्रमित लार्वा पीले और अंततः काले हो जाते हैं, तथा अपूर्ण प्यूपेशन के कारण थैलीनुमा स्वरूप धारण कर लेते हैं।
- **भौगोलिक प्रसार:** इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिणी भारत में (1991-1992) हुई थी, तथा इसने एशियाई मधुमक्खी (एपिस सेराना इंडिका) की लगभग 90% कॉलोनियों को नष्ट कर दिया था।
  - यह 2021 में तेलंगाना में फिर से उभरा और चीन और वियतनाम में भी इसकी सूचना मिली है।
- **संचरण:** सटीक संचरण मार्ग अस्पष्ट बने हुए हैं, संभावित तंत्रों में शामिल हैं:
  - **प्रत्यक्ष संपर्क:** मधुमक्खी-से-मधुमक्खी के संपर्क और दूषित छत्ते के उपकरण के माध्यम से फैलता है।
  - वायरल स्पिलओवर प्रबंधित मधुमक्खियाँ से जंगली परागणकों में होता है, जो वायरस को उत्परिवर्तित करते हैं और इसकी विषाणुता को बढ़ाते हैं।

परागण का महत्व

- **फसल उपज:** परागण वैश्विक खाद्य फसलों के लगभग 75% के प्रजनन के लिए आवश्यक है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और पक्षी जैसे परागणकर्ता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जलवायु लचीलापन:** परागण आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देकर पौधों को परिवर्तित जलवायु के अनुकूल बनाने में सहायता करता है।

भारत में मधुमक्खियां

- भारत में 700 से अधिक मधुमक्खी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें चार देशी मधुमक्खियाँ शामिल हैं:
  - एशियाई मधुमक्खी (एपिस सेराना इंडिका),
  - विशाल चट्टान मधुमक्खी (एपिस डोरसाटा),
  - बौनी मधुमक्खी (एपिस फ्लोरिया),
  - बिना डंक वाली मधुमक्खी (प्रजाति ट्राइगोना)।
- देश में शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए 1983 में पश्चिमी मधुमक्खियों को भारत में लाया गया था।

वैगल डांस (Waggle dance) और सर्कल डांस (circle dance)

- मधुमक्खियाँ सूचना का संचार करने के लिए दो प्रकार के डांस का उपयोग करती हैं: वैगल डांस और सर्कल डांस ।
- किसी भी डांस का उद्देश्य कुछ मधुमक्खियों द्वारा दूसरों को अधिक अमृत या पराग वाले फूल के स्थान के बारे में बताना होता है।

- एक मधुमक्खी डांस करती है जबकि अन्य दिशाएँ जानने के लिए उसे देखती हैं।

वैगल डांस (Waggle dance)

- वैगल डांस के दौरान मधुमक्खियां आठ की आकृति में चलती हैं। यह डांस पैच की दूरी और दिशा दोनों को दर्शाता है। इसमें लगभग आठ की आकृति वाली सीधी रेखा को वैगल रन कहा जाता है।

सर्कल डांस (circle dance)

- सर्कल डांस में मधुमक्खियाँ एक सर्कल में घूमती हैं।
- डांस केवल छत्ते की दूरी को दर्शाता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

विलिंगडन द्वीप(Willingdon Island)

समाचार में

- विलिंग्डन द्वीप का पुनरुद्धार चर्चा का मुख्य विषय है, तथा ट्रेड यूनियनें और हितधारक इसके वाणिज्यिक पुनरुद्धार की मांग कर रहे हैं।

विलिंगडन द्वीप के बारे में

- यह कोच्चि में एक मानव निर्मित द्वीप है जिसे 1920 के दशक में सर रॉबर्ट ब्रिस्टो ने बनवाया था, जिसका नाम वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया था।
- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर समझौते के तहत 2011 में कंटेनर संचालन को वल्लारपदम द्वीप में स्थानांतरित करने के बाद, द्वीप की वाणिज्यिक गतिविधियों में गिरावट आई।
- यह द्वीप आतिथ्य, पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियों के लिए आदर्श है।
- CPEO (कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन) द्वारा प्रस्ताव: राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल पर तटीय और रक्षा कार्गो हैंडलिंग को फिर से शुरू करें।
  - लाभप्रदता के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और गोदाम नेटवर्क विकसित करें।

Source: TH

करीबा झील(Lake Kariba)

सन्दर्भ

- भीषण सूखे के कारण करिबा झील सूख गई है, जिससे जाम्बिया और जिम्बाब्वे की अधिकांश बिजली आपूर्ति करने वाले बांध के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

परिचय

- करीबा 1950 के दशक में निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
  - वोल्टा झील सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो घाना में स्थित है।

- **स्थान:** दक्षिणी अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर।

- इसका निर्माण ज़ाम्बेजी नदी पर करिबा बांध के निर्माण से हुआ था।
- ज़ाम्बिया अपनी राष्ट्रीय बिजली आपूर्ति के 80% से अधिक के लिए करिबा पर निर्भर है।

Source: DTE

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024

सन्दर्भ

- शीर्ष कंपनियों में पीएम इंटर्नशिप योजना (योजना) पायलट परियोजना के तहत लगभग 6.5 लाख युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था।

परिचय

- **घोषणा:** केंद्रीय बजट 2024-25 में।
- **उद्देश्य:** 21 से 24 वर्ष की आयु के एक करोड़ उम्मीदवारों को पाँच वर्षों के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करना।
  - शीर्ष कंपनियों में रोजगार चाहने वालों को वास्तविक जीवन का कार्य अनुभव प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय।
- **रिक्तियाँ:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में 1,25,000 पद।
  - शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों के औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के आधार पर की गई है।
  - योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है।
- **पात्रता:**
  - परिवार का कोई भी सदस्य प्रति वर्ष ₹8 लाख से अधिक की आय वाला न हो।

- 18 से 24 वर्ष (OBC/SC/ST के लिए छूट)
- **ITI:** मैट्रिकुलेशन + प्रासंगिक ट्रेड में ITI
- **डिप्लोमा:** इंटरमीडिएट + AICTE-मान्यता प्राप्त डिप्लोमा
- **डिग्री:** UGC/AICTE--मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री

- **वृति:**
  - ₹5,000 मासिक वृति
  - ₹6,000 का एकमुश्त भुगतान

Source: TH

चिकनगुनिया(Chikungunya)

सन्दर्भ

- तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि चिकनगुनिया के मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

परिचय

- यह एडीज मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक वायरल बीमारी है।
- यह एक गैर-संचारी रोग है, यानी मनुष्यों के बीच संक्रामक नहीं है।
- इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन और दाने शामिल हैं।
- चिकनगुनिया अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **रोकथाम:** मच्छरों के काटने से बचना चिकनगुनिया संक्रमण से बचने की कुंजी है।
- **उपचार:** चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। उपचार सामान्यतः लक्षणों से राहत देने पर केंद्रित होता है।

Source: TH

यूनिफ़ॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल(Uniform Protection Protocol)

सन्दर्भ

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वयन हेतु भारतीय ग्रिड के उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- इसका उद्देश्य ग्रिड की स्थिरता, विश्वसनीयता, सुरक्षा सुनिश्चित करना है और यह 2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण एवं 2047 तक 2100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का भी समर्थन करता है।
- यह विभिन्न विद्युत प्रणाली घटकों, जैसे: थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, आदि के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करता है।
- यह मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक ऑडिट को अनिवार्य बनाता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

- यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है।
- **कार्य:**
  - बिजली क्षेत्र की योजना, विकास और प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सरकार को तकनीकी एवं नीतिगत परामर्श प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) और ट्रांसमिशन योजना तैयार करता है।
  - विद्युत उपकरण, ग्रिड प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
  - बिजली आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

Source: PIB

भारत NCX 2024

सन्दर्भ

- भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत NCX 2024) का उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा आयोजित एक समारोह में किया गया।

परिचय

- 12 दिवसीय अभ्यास भारत की साइबर सुरक्षा संबंधी लचीलेपन को मजबूत करेगा।
- यह अभ्यास नेतृत्व की भागीदारी और क्षमता निर्माण पर प्रकाश डालता है, तथा उभरती साइबर चुनौतियों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

भारत NCX 2024 की मुख्य विशेषताएं

- **इस अभ्यास में शामिल हैं;**
  - साइबर रक्षा और घटना प्रतिक्रिया पर गहन प्रशिक्षण,
  - IT और OT प्रणालियों पर साइबर हमलों के लाइव-फायर सिमुलेशन, और सरकार एवं उद्योग के हितधारकों के लिए सहयोगी मंच।
- रणनीतिक निर्णय लेने का अभ्यास राष्ट्रीय स्तर के साइबर संकट में निर्णय लेने का अनुकरण करेगा, जिससे रणनीतिक कौशल के साथ उच्च दबाव की स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ेगी।

Source: PIB

भारतीय तटरक्षक बल(Indian Coast Guard)

सन्दर्भ

- भारत की विशाल समुद्री सीमाओं पर तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय तटरक्षक बल की कार्यपद्धति की समीक्षा के लिए रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई।

भारतीय तट रक्षक बल (ICG)

- **संक्षिप्त विवरण:** ICG भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है, जिसका क्षेत्राधिकार इसके समीपवर्ती क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित इसके प्रादेशिक जल पर है।

- इसका उद्देश्य कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों की सुरक्षा और संरक्षण, तस्करी विरोधी अभियानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों से निपटना है।
- **स्थापना:** 1977 में भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा।
- **मूल एजेंसी:** रक्षा मंत्रालय
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **प्रमुख:** महानिदेशक भारतीय तटरक्षक (DGICG)

क्या आप जानते हैं?

- रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति, वर्तमान 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियों में से एक है, जिसका गठन लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331C के तहत किया गया है।
- समिति के अधिकार क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय है और इसमें 31 सदस्य हैं; 21 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

Source: AIR

वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन

सन्दर्भ

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने COP29 के दौरान 'वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन' स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है।

परिचय

- यह पहल COP28 से 'यूएई सर्वसम्मति(UAE Consensus)' पर आधारित है, जो एक प्रतिबद्धता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को एक साथ लाती है।
- इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान देना है।
- यह रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और ऊर्जा दक्षता पहलों में निवेश को बढ़ावा देगा।
- गठबंधन अफ्रीकी देशों की सहायता पर विशेष बल देते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करने और प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

Source: AIR

तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

सन्दर्भ

- छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** बाघ अभयारण्य छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित है।

  - यह छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में विस्तारित है।
- **वनस्पति:** यह अभयारण्य पूर्वी हाइलैंड्स के नम पर्णपाती जंगलों का हिस्सा है, जिसमें साल, सागौन आदि पाए जाते हैं।
- **जीव:** एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, नीलगाय, चौसिंघा, ढोल, अजगर, लाल जंगली मुर्गी, ग्रे जंगली मुर्गी और हरा कबूतर आदि।
- **कॉरिडोर कनेक्टिविटी:** गुरु घासीदास-तमोर पिंगला के जंगल, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और पलामू बाघ अभयारण्य (झारखंड) के बीच एक गलियारे के रूप में कार्य करते हैं।

महत्त्व

- इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व के बाद यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है।
- साथ ही यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
  - आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसके बाद असम में मानस टाइगर रिजर्व है।

Source: PIB

विश्व शौचालय दिवस(World Toilet Day)

समाचार में

- विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है।

विश्व शौचालय दिवस के बारे में

- इसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट को संबोधित करने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना है, जो सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बिना 3.5 बिलियन लोगों को प्रभावित कर रहा है।
- इसकी स्थापना 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी, यह 2013 में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पालन बन गया।
  - यह सतत विकास लक्ष्य 6 के साथ संरेखित है: 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता
- 2024 थीम: 'शांति के लिए स्वच्छता(Sanitation for Peace)', स्थिरता और कल्याण को बढ़ावा देने में स्वच्छता की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र-जल द्वारा निर्धारित किया गया है।

सुदृढ़ स्वच्छता के लिए आह्वान

- राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता और जल सेवाएं लचीली, प्रभावी एवं सभी के लिए सुलभ हों, तथा संघर्ष एवं जलवायु-जनित व्यवधानों से सुरक्षित हों।

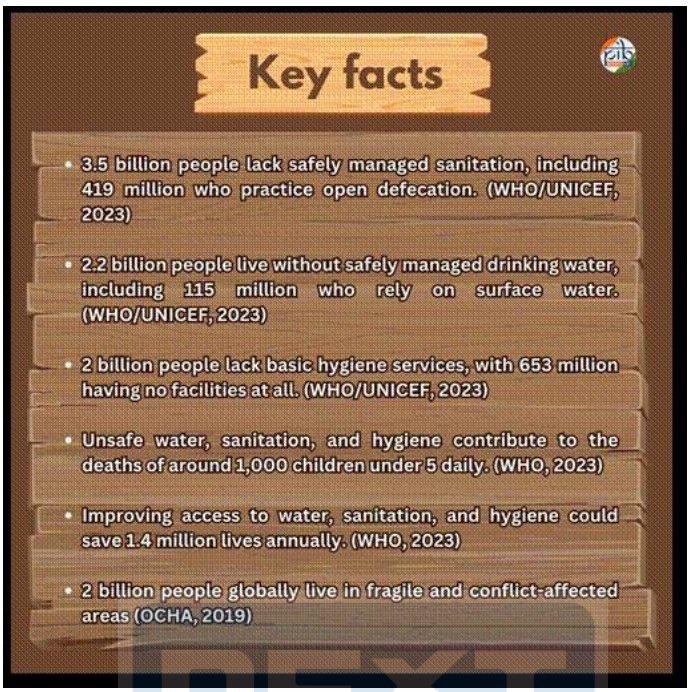

भारत का स्वच्छ भारत अभियान (SBM)

- भारत के स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता और सफाई में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- मिशन के मुख्य लाभ:
  - **बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य:** जलजनित बीमारियों के मामलों में कमी।
  - **महिलाओं का सशक्तिकरण:** विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए सम्मान एवं सुरक्षा में वृद्धि।
  - **आर्थिक विकास:** पर्यटन और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार।

विश्व शौचालय संगठन (WTO)

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 को विश्व भर में शौचालय और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी।
- इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ परामर्शदात्री दर्जा दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है।
- **मुख्य पहल:** 2001 में विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई।
  - 2005 में विश्व शौचालय कॉलेज का शुभारंभ किया गया।

Source : PIB

■■■■